an>

Title: Need to address problems being faced by the Ex-Trade Apprenticeship students of Department of Defence Production.

श्रीमती रक्षाताई खाड्से (रावेर) : उपाध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने हाल ही में नई ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है, जिसमें वर्तमान में एस.आर.ओ., आर.आर. भर्ती हेतु एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप धारक छात्रों को ऑर्डनेंस फैक्ट्री में कामगार भर्ती में सुधार के लिए प्रावधान रखे गए हैं, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के सेक्शन-22 के तहत है। यह नई ड्राफ्ट पॉलिसी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड में सुझाव एवं विधायिकी टिप्पणी के लिए विधि और न्याय मंत्रालय में लंबित है। अप्रेंटिसशिप फैक्ट्री में होने वाली भर्ती के तहत, उस फैक्ट्री में, जिसमें उन्होंने अपनी अप्रेंटिसशिप की है, उसमें एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप धारक की सीनियॉरिटी रखी जाए। इसके प्रावधान उसमें किए गए हैं। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए एक्स-ट्रेड अप्रेंटिसशिप धारक छात्र कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि एक्स-ट्रेड अप्रेंटिसशिप छात्रों, जिनकी संख्या लगभग सात हजार से आठ हजार है, की अप्रेंटिसशिप को अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के सेक्शन-22 के तहत जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाए और उन्हें राहत दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Arvind Sawant and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with the demand raised by Shrimati Rakshatai Khadse.